कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - नागौद
जिला - सतना, मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 842/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/429/0104/5860/2023

दिनांक : 26/05/2023

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी **शिखा बागरी** पुत्री श्री **विनोद बागरी** (पिता) एवं श्रीमती **रिंकी बागरी** (माता) ग्राम **नवस्ता** , तहसील **नागौद**, जिला **सतना** (मध्यप्रदेश) **बागरी** जाति की सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित **अनुसूचित जाति** की सूची में अनुक्रमांक 2 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

कुमारी **शिखा बागरी** पुत्री श्री **विनोद बागरी** सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम **नवस्ता** , तहसील **नागौद**, जिला **सतना** (मध्यप्रदेश) की निवासी हैं।

स्थान : **नागौद**
दिनांक : **26/05/2023**
आधार नंबर : **XXXXXXXX9405**
समग्र नं : **111865648**

तहसील - नागौद

धीरेन्द्र सिंह
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन संदर्भ क्रमांक RS/429/0104/5860/2023 के द्वारा वेबसाईट http://mpedistrict.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।